

हुआ। वागीण की पहचान श्री नरसारी लाल जोशी की तब जातिवादी सं. 1 व 1/2 की पहचान श्री राजेश लाल तैतल सं. 2 के की। उपर्युक्त पहचान को राजीनामा परकार द्वारा किया गया जिसे पुनः व समझकर परकार द्वारा ही होना स्वीकार किया गया अतः हरदत्तवाहीर परकार राजीनामा न्य तहसील शामिल फलानकी किया गया।

नरसारी लाल उपाय में गुलाबिल राजीनामा नाम डिक्री फरमाया जाने का निर्देश किया जिस पर गुलाबिल तहसील खंडेला में कोर्ट आपति जारी नहीं की।

मनाबली पर उपलब्ध राजस्व रेकॉर्ड पेशवा राजीनामा का अवलोकन किया गया जिनके अवलोकन तथा लीक अदालत की भाषना से वागीण का नाम स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर स्वीकार किया जाता है। तथा घोषणा रम आशम की जारी की जाती है कि:-

आदेश

तब ग्राम दाघर तहसील खंडेला जिला सीकर राज. अवस्थित छवि भूमि ख. नं. 1644/1, 1644/2, 1645, 1646/1, 1646/2, 1673 कका 1.44 हे. सम्पूर्ण में जातिवादी सं. 1/1 ता 1/6 के मूलक पिता/पति मंगर व जातिवादी सं. 2 व मूलक माता श्रीमती का नाम रजक किया जाकर वागीण एवं तहसील जातिवादी सं. 5 के नाम महिला बालक ~~सं. 5~~ में रजक किया जाता है। तथा ख. नं. 1675 कका 0.72 हे. सम्पूर्ण में वागीण एवं तहसील जातिवादी सं. 5 व मूलक पिता गणेश का नाम रजक किया जाकर

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तालीम
में जारी हुए

उतिवादी नं. 1/1 ता 1/6 को 2/3 हिस्सा का व
उतिवादी नं. 2 को 1/3 हिस्सा का छतैदार
काश्तलाट घोषित किया जाता है। उक्तबुसाए
राजस्व रैजॉर्ड में उमल दामद हो। तदनुसाए
पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल इम्राए
होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तलमील दाखिल
दफ्तर हो। निर्णय मजमें आम खुलाया गया।



13/1/18
उपरान्त अधिवक्ता
खण्डला (सीकर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डेला

पीठासीन अधिकारी:- श्री भागीरथ शाख, RAS

① गौदा राम * उनवान बनाम ② धापू देवी *

दावा बाबत वैजणा, तलासा व स्वार्थ निवेद्यता

मुकदमा नम्बर :- 236/2012

निर्णय दिनांक :- 19/06/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरु श्री भागीरथ शाख, RAS
व हाजिरी मिनजानिव मुददई रूबरु श्री बतवाटी लाल जांवा

मिनजानिव मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

तल गाम दायरा तह. खण्डेला जिला सीकर राज. अबासित कृषि भूमि ख. नं. 1644/1, 1644/2, 145, 1646/1, 1646/2, 1673, तलासा 1.44 हे. सम्पूर्ण में उत्तियादी नं. 1 का 1/2 के मुलक पिता/पति सांगू व उत्तियादी नं. 2 व मुलक माता सोली का नाम हजफ किया जाण, वारीगण एवं तत्पिनी उत्तियादी नं. 5 के नाम बरिस्ता बाका तलासा तह. ख. नं. 1675 के सम्पूर्ण में वारीगण खतारिबी जाता है तथा ख. नं. 1675 के सम्पूर्ण में वारीगण खतारिबी उत्तियादी नं. 5 व मुलक *.

खर्चा पक्षकारान्त अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज दिनांक 19/06/18 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(Signature)
(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
वित्त पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
दर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
..... रुपये पर प्लीडर की		साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	
क्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
मेशनर की फीस		कमिशनर की फीस	
देशिका की तामील			
जोड़		जोड़	

* ② बनवारी पुत्रागण गणेश संमस्त जाति माली नि. टीका की टाणी तन दायरा तह. खण्डेला जिला सीकर (राज.)
— वादीगण

बनाम

* पत्नी मांगूराम

① मयूर उसाद ② गोविन्दराम ③ रामस्वरूप

④ मंजू ⑤ सुमन पुत्र / पुत्रियां मांगूराम जाति माली
नि. टीका की टाणी तन दायरा तह. खण्डेला जिला सीकर (राज.)

⑥ बनवारी ⑦ जगदीश पुत्रागण गोपाल जाति माली
नि. टीका की टाणी तन दायरा तह. खण्डेला जिला सीकर (राज.)


⑧ भूमिधारी तहसीलवार महोदय खण्डेला

— उत्तिवादीगण

⑨ मंगलचन्द पुत्र गणेश जाति माली नि. टीका की टाणी
तन दायरा तह. खण्डेला जिला सीकर राज.

— तहसीली उत्तिवादीगण

* पिता गणेश का नाम हजफ किया जाकर उत्तिवादी नं. १, रा १/४
को २/३ हिस्सा का व उत्तिवादी नं. २ को १/३ हिस्सा का
खार्तदार कारतकार घोषित किया जाता है। अतनुसार
राजस्व रेकोर्ड में अमल दायर है



19/6/18
धारीश शाह
उपसहस्र अधिकारी
खण्डेला (सीकर)